कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक / 12-1 चम्पावत, दिनांक 19-9- 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ललुवापानी—बनलेख मोटर मार्ग से नघान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.272 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No-FP/UK/ROAD/38398/2019)**

संदर्भः— **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत की पत्र संख्या 506/03 पी0एम0जी0एस0वाई दिनांक 13.07.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत ललुवापानी—बनलेख मोटर मार्ग, से नघान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.272 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/34/ 2020/एफ0सी0 /1536, दिनांक 09.02.2023 द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः—

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1 (a)	Whether, the diversion area and trees affected in the proposed alignment were calculated based on ground survey and whether such alignment was demarcated on ground? If yes, whether the tree felling and road works were carried out on the alignment demarcated on the ground and what are the reasons for the shift in KML?	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्ष तथा प्रत्यावर्तित भूमि की गणना स्थलीय सर्वेक्षण के अनुसार ही की गई थी, प्रस्तावित समरेखण का चिन्हीकरण कार्यस्थल में किया गया था। समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि में वृक्षों का पातन एवं सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत/चिन्हित समरेखण/Uploded KML के अनुसार ही किया गया है। चूंकि मार्ग की सर्वे करने एवं वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त होने की अवधि में गांव में एक कच्चे मार्ग का निर्माण किया गया। मोटर मार्ग निर्माण के समय ग्रामवासियों द्वारा स्वीकृत समरेखण में पड़ने वाली नापभूमि में विवाद किया गया एवं उक्त कच्चे मार्ग को सम्मिलित करते हुए ही विभाग को सड़क निर्माण करने हेतु सहमति दी गयी (पत्र संलग्न)। उक्त कारण नापभूमि में मोटर मार्ग के समरेखण में भिन्नता हुई है, परन्तु वन भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है। नापभूमि में वृक्षों का पातन नहीं हुआ है एवं वनभूमि की विधिक परिस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। एवं प्रस्तावक विभाग को इस कार्यालय की पत्र संख्या 230/12—1 दिनांक 15.07.2023 से उक्त मोटर मार्ग का प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग से संयुक्त निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 27.07.2023 को प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमे पाया गया कि उक्त संरेखन में परिवर्तन केवल नाप भूमि में ही किया गया है। संयुक्त निरीक्षण की रिर्पोट संलग्न है।

<table>
<tr>
<td>(b).</td>
<td>The details of the length, breadth and the total area in which the road construction has been carried out in the forest area vis-à-vis the actual area diverted for the said purpose</td>
<td>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यस्थल पर किये गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त वनभूमि की लम्बाई, चौड़ाई एवं कुल क्षेत्रफल वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित की गयी वनभूमि की लम्बाई, चौड़ाई व कुल क्षेत्रफल के समान है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—
<table>
<tr><th>स्वीकृति के अनुसार</th><th>वास्तविक निर्माण के अनुसार</th></tr>
<tr><td>लम्बाई— 2560.00 मी0</td><td>लम्बाई— 2560.00 मी0</td></tr>
<tr><td>चौड़ाई— 7.00 मी0</td><td>चौड़ाई— 7.00 मी0</td></tr>
<tr><td>क्षेत्रफल— 1.792 हे0</td><td>क्षेत्रफल— 1.792 हे0</td></tr>
<tr><td>मलुवा निस्तारण हेतु— 0.48 हे0</td><td>मलुवा निस्तारण हेतु— 0.48 हे0</td></tr>
<tr><td>कुल प्रभावित वन भूमि— 2.272 हे0</td><td>कुल प्रभावित वन भूमि— 2.272 हे0</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>(c)</td>
<td>In case the road has been constructed on an different alignment the detailed report on violation and the action taken by the forest department shall be submitted.</td>
<td>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों बिन्दुओं को प्रकाश में यह विदित है कि वन भूमि में स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। अतः वन अधिनियम में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।
प्रस्तावक विभाग को इस कार्यालय की पत्र संख्या 230/12—1 दिनांक 15.07.2023 से उक्त मोटर मार्ग का प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग से संयुक्त निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 27.07.2023 को प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमे पाया गया कि उक्त संरेखन में परिवर्तन केवल नाप भूमि में ही किया गया है। संयुक्त निरीक्षण की रिर्पोट संलग्न है।</td>
</tr>
</table>

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 1518 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपि:— अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रतिलिपि

श्री चन्दन भारद्वाज AE

28/9/2023

Sh Ramesh Joshi, AAE
Sh Harish Tapwal, AAE

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 27.07.2023 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद – चम्पावत में ललुवापानी–बनलेख मोटर मार्ग से नधान मोटर मार्ग में समरेखण का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें वन विभाग की ओर से श्री चतुर सिंह, वन दरोगा, श्री बी0एम0 टम्टा, वन क्षेत्राधिकारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री विजय सिंह भण्डारी, राजस्व निरीक्षक तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हरीष टकवाल, अपर सहायक अभियन्ता एवं श्री सुभाश गहतोड़ी, अमीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि में वृक्षों का पातन एवं सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत/चिन्हित समरेखण/Uploded KML के अनुसार ही किया गया है। स्वीकृत/अपलोड KML के अनुसार मोटर मार्ग के समरेखण में भिन्नता केवल नाप भूमि में ही हुई है एवं नापभूमि में वृक्षों का पातन नहीं किया गया है। वनभूमि की विधिक परिस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तथा वन अधिनियम में किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रस्तावक विभाग
प्रतिनिधि

वन विभाग
प्रतिनिधि

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत

राजस्व विभाग
प्रतिनिधि
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र पल्सों
तहसील चम्पावत

ग्राम पंचायत नघान

नीमा बिनवाल
(ग्राम प्रधान)
मो0 - 8954901968, 8859534040

निवास ग्राम - नघान
पो0 - चम्पावत
वि0ख0 - चम्पावत
जिला - चम्पावत (उत्तराखण्ड) 262523

पत्रांक .... दिनांक ....

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता महोदय
सि० ख० लो० नि० वि० चम्पावत
पो० एम० जी० एस० वाई चम्पावत

अवर अभियंता श्री हरीश टकौली एवं श्री रमेश चन्द्र जोशी Drawing Dobet के अनुसार Alignment का सर्वेक्षण कर आख्या वस्तुस्थिति का स्थल स्पष्ट करकर अवगत करायें।
AE

विषय "ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग से नघान मोटर मार्ग के समरेखण्ड में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में"

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि आपके खण्ड द्वारा PMGSY के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है एवं निर्माण कार्य शुरु होने वाला है महोदय से यह भी निवेदन करना है कि किमी० 1.900 से आगे स्वीकृत समरेखण्ड में आवासीय भवन बन जाने के कारण सड़क को किमी० 2 से मोड़ने के बजाये किमी 1.900 से ही मोडने की कृपा करें जिसमें पूर्व में विधायक निधि से निर्मित मोटर मार्ग के अनुसार एवं लो० नि० वि० द्वारा की गई सर्वे के अनुसार सड़क निर्मित हो पायेगी उपरोक्तानुसार सड़क का निर्माण करने से ग्रामीणों की दोबारा कृषि भूमि प्रभावित नही होगी एवं अधिकाधिक परिवारों को सड़क संयोजकता का लाभ मिल सके इस प्रकार सड़क का निर्माण कार्य होने से किसी ग्रामीन को आपत्ति नही है

Shri Sudhir Kumar ji AE
EE

(नीमा बिनवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत नघान
वि0ख0 - चम्पावत

निर्मला भट्ट
निर्मला भट्ट
सदस्य
क्षेत्र पंचायत नघान

(भूपेन्द्र सिंह महर)
जिला पंचायत सदस्य
क्षेत्र-बिरगुल
जनपद-चम्पावत

सरपंच
वन पंचायत नघान
जनपद-चम्पावत

(1) प्रकाश चन्द्र
2. भवानी दत्त
3. मोहन चन्द्र
4- Umesh
5- लीलाधर बिनवाल
6- गिरीश चन्द्र
7- रेवलानन्द
8- नारायन दत्त
9- सतीश चन्द्र
10 [illegible]
11- [illegible]
12- Nirmal Binwal
13- Sarswati Dave
14- राजेन्द्र
15 गोपाल दत्त
20- Mahe
16 कल्याण जोशी
17 खीमानन्द
14 ईश्वर सिंह
14- प्रकाश चन्द्र जोशी
15 मोहन चन्द्र बिनवाल
11 कृपानन्द
17 [illegible]
(10) दिवाकर
(19) हीरा जोशी
(20) गिरीश चन्द्र
(21) उमेश जोशी
(23) महेन्द्र दत्त बिनवाल
(23) शेखर जोशी
(24) A [illegible]
(25) Naveen
(26) शंकर दत्त
(27) [illegible]
(28) हरीश

(29) [illegible]
(30) सीता देवी
हरीश
नरदेव
जयदत्त
पूर्णानन्द
भुवन चन्द्र
मनोज
त्रिलोचन
[illegible]
[illegible]
देवीदत्त
रामदत्त
कमल
विनय
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
भुवन चन्द्र
जीवन

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता महोदय
पी० एम० जी० एस० वाइ०
चम्पावत

विषय ललुवापानी बनलेख से नधान मोटर मार्ग के सम्बन्ध में

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग द्वारा P.M.G.S.Y के अन्तर्गत उपरोक्त सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिसमें किमी 2 के आगे ग्रामीणों की नाप भूमि में सड़क का निर्माण होना है. महोदय ग्रामीणों के नाप भूमि में पूर्व में विधायक निधि से एक कच्ची सड़क का निर्माण हुआ था जिसमें ग्रामीणों के नाप खेत कटे है P.M.G.S.Y विभाग द्वारा की गई सर्वे के अनुसार सड़क निर्माण से ग्रामीणों के अन्य नाप खेत पुन: काटे जायेंगे जिसमें ग्रामीणों की नाप भूमि की दोबारा क्षति होगी जिस कारण समस्त ग्रामवासियों को नाप भूमि में सर्वे के अनुसार सड़क बनाने पर आपत्ति है।

अत: महोदय से विनम्र निवेदन है कि विधायक निधि से निर्मित सम्मिलित करते हुए ही किमी 2 से आगे सड़क बनाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि ग्रामीणों की नाप भूमि दोबारा प्रभावित न हो सके।

श्री सुधीर कुमार,
स० अ०
कृपया वस्तुस्थिति से अवगत करायें।
[signature]
अ० अ०

[signature]
(नीमा छिनवाल
प्रधान
ग्राम पंचायत नधान
वि०ख०/जनपद चम्पावत)

सतीश चन्द्र
[signature]
हरीश
कुन्दन गिरि
मनोज
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
कृष्णा नन्द
खीलानन्द
लीलाधर
केशव दत्त
उमेश चन्द्र
मधुरादत्त
टीका राम